कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जयपुर

सिंचाई भवन, MNIT के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीया नगर जयपुर–302017 email id 'acejpr.wr@gmail.com' 0141-2702353, 2702529

क्रमांकः–प.नियुक्ति/क.स./स्था–III/अमुअज/2020/ दिनांकः–

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प.1(1)प्र.सु./अनु–3/2020 दिनांक 16/05/2020 द्वारा जल संसाधन विभाग को आवंटित चयनित अभ्यार्थियों (गैर अनुसूचित क्षेत्र) की प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के परिपत्र दिनांक 18/05/2020 के अनुसरण में जिले के आवंटन हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयंपुर द्वारा की गई व्यक्तिशः(In-Person) काउन्सलिंग में अभ्यर्थी द्वारा विकल्पित जिलों मे से वरीयता के आधार पर कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.नियुक्ति/क.स./स्था–3/मुअजसं/2020/1582--83 दिनांक 25/06/2020 द्वारा आवंटित जिले में राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अस्थायी आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/01/2006 एवं वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना दिनांक 30/10/2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) 14600/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे–मेट्रिक्स लेवल–5 में अधोलिखित शर्तो पर नियुक्त करते हुए अग्रिम पदस्थापन किया जाता हैं।

क्र. सं.	विवरण						आवंटित जिला	पदस्थापित कार्यालय का नाम
	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वरीयता क्रमांक	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग		
1.	विक्रम मीना	श्री लादू राम मीना	16107	08/09/1997	एसटी	एसटी	टोंक	अधिशाषी अभियन्ता, यान्त्रिकी खण्ड, ईसरदा परियोजना, टोंक ।

शर्तेः–

1. उक्त अभ्यर्थियों के अग्रिम पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर अपने नवपदस्थापित कार्यालय में उपस्थिति प्रदान करनी होगी। किसी कारणवश 15 दिवसों में उक्त पद का कार्यभार संभालने में कोई असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण एवं तथ्यों के साथ कारण स्पष्ट करते हुए संभागीय अधिकारी को कार्यभार संभालने की विलंबित अवधि से सूचित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. परीवीक्षा काल (Probation Period) में वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता हैं तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में किया जावेगा एवं नियमानुसार उस पर भत्ते देय होगें।
6. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों अनुसार देय होगें।
7. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13/03/2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13/03/2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30/10/2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता,

Scanned by CamScanner

मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। यह पारिश्रमिक इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में दायर याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28/01/2004 एवं 27/03/2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
9. उक्त नियुक्तियों पर वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01/04/2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होने एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एफ.6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27/07/2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजन के द्वार उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन रहेगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र नियुक्ति पर लागू होगें।
12. पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति अधिकारी चयनित अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनका चयन निरस्त कर सकेगा।
13. संगठन/संभाग में अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची की वरीयता कम के अनुसार रहेगी। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
14. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
15. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं सलंग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते हैं तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
16. अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ–साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Sd/-
(रवि सोलंकी)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन संभाग, जयपुर

कमांकः–प.नियुक्ति/क.स./स्था–ााा/अमुअज/2020/ 8959-64 दिनांकः– 27/7/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज0, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, ईसरदा परियोजना वृत, टोंक।
3. अधिशाषी अभियंता, आई.टी. सैल, सिंचाई भवन, जयपुर को उक्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. अधिशाषी अभियंता, यान्त्रिकी खण्ड, ईसरदा परियोजना, टोंक।
5. संबंधित कर्मचारी श्री विकम मीना, कनिष्ठ सहायक।
6. निजी पत्रावली।

(किरण आहूजा)
अधीक्षण अभियंता एवं त0स0,
वास्ते अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन संभाग, जयपुर

Scanned by CamScanner